प्रेषक,

गम्भीर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

संख्या 2910/अ०प्र०शा०(वि०) /व.एव-पर्या./2003-9(4)/2001

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम.
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमॉयू.
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल.
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई, वन विभाग, नैनीताल.
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
8. डा. जे.एस. रावत, निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर.
9. श्री एस.के. चन्दोला, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, औषधीय एवं सगन्ध पादप.
10. श्री जे.एस. सुहाग, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन पंचायत.
11. निबन्धक, सहाकारिता.
12. मुख्य भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता.
13. समस्त सचिव, जिला भेषज संघ, उत्तरांचल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक 6-10- ~~सितम्बर~~, 2003

विषय– औषधीय एवं सुगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन (**CDH: Conservation Development and harvesting**) उत्तरांचल के प्रत्येक–वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (**Joint Harvesting Team**) हेतु योजना.

महोदय,

कृपया वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के पत्र संख्या 914/व.ग्रा.वि./2003 दिनांक 23.08.2003 का सन्दर्भ ग्रहण करें. पत्र के प्रस्तर सात में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जडी बूटी के कार्य में लगे विभिन्न हित समूहों में समन्वय स्थापित कर विदोहन कार्य किया जाय. इसके लिए प्रत्येक प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयोजक (**Convener**) का कार्य करते हुए एक कमेटी गठित की जाय जिसके सदस्य उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, जिला भेषज संघ के सचिव, वन पंचायतों के प्रतिनिधि व कुँमाऊ मण्डल विकास निगम के महाप्रबन्धक भी होंगे. यह समिति निर्धारित करेगी कि जडी बूटी के एकत्रीकरण करने का कार्य किन–किन क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा व किन क्षेत्रों में भेषज संघ, वन पंचायतों व कुमॉऊ मण्डल विकास निगम को यह कार्य सौंपा जायेगा.

2. जड़ी बूटी के विदोहन का कार्य स्थानीय जन समुदाय के ही श्रमिकों से कराया जायेगा और किसी भी दशा में ठेके पर अथवा बाहरी व्यक्तियों से विदोहन का कार्य नही कराया जायेगा. जड़ी–बूटी कार्य में लगने वाले श्रमिकों को पंजीकृत किया जायेगा और उन्हें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी किए जायेंगे. केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले श्रमिक ही कार्य करेंगे. जो इस प्रक्रिया का उल्लंघन करेगा उनका परमिट निरस्त कर दिया जायेगा और उन्हें काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा ताकि उन्हें भविष्य में कार्य आबंटन न किया जाय. प्रभागीय वनाधिकारी इस सम्बन्ध में सतत् जांच सुनिश्चित करेंगे.

3. कृपया तद्नुसार निदेश अपने स्तर से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत करना सुनिश्चित करें.

भवदीय,

(गम्भीर सिंह) 26/4/03
अपर सचिव

संख्या /1(1)व.एवं पर्या./2003–9(4)/ 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तरांचल.
3. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल.
4. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री, उत्तरांचल.
5. निजी सचिव, मा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तरांचल.

(गम्भीर सिंह) 26/4/03
अपर सचिव